डा0 बी0 राजेन्दर भा0प्र0से0 जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया द्वारा दिनांक-- 15.11.2010 को जिला प्रोग्राम कार्यालय, बेतिया का निरीक्षण टिप्पणी।

---

(1) परिचयः--

जिला प्रोग्राम कार्यालय पूर्व में जिला कल्याण कार्यालय के साथ संबद्ध था । जिला प्रोग्राम पदाधिकारी की पदस्थापना के पश्चात् यह कार्यालय माह--जून, 2008 से स्वतंत्र रूप से कार्यरत है। वर्तमान में यह कार्यालय विकास भवन के भूतल के एक कमरे में संचालित है।

जिले में कुल 17 परियोजना कार्यालय कार्यरत है। पिपरासी एवं मधुबनी दोनो प्रखण्ड को मिलाकर एक परियोजना यथा-- मधुबनी--पिपरासी कार्यालय कार्यरत है।

(2) प्रभारः--

श्री विनोद प्रसाद सिंह, वरीय उप समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया दिनाक-- 19.10.2010 से जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के अतिरिक्त प्रभार मे है। इसके पूर्व श्री जावेद रसूल, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित एवं कार्यरत थे।

जिले के कुल 17 परियोजनाओं के लिए कुल 14 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी पदस्थापित है। बेतिया,सिकटा एवं बगहा परियोजना प्रभार में है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बेतिया, सिकटा एवं बगहों के रिक्त पदों पर पदस्थापना हेु निदेशालय से पत्राचार करने का निदेश दिया गया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(3) स्थापनाः--

जिला प्रोग्राम कार्यालय में सांख्यिकी पदाधिकारी, कार्यालय अधीक्षक, लेखापाल एवं लिपिक--सह--टंकक का पद रिक्त है। लेखापाल एवं लिपिक--सह--टंकक के पद पर समाहरणालय संवर्ग के कर्मी प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे है। आदेश दिया जाता है कि रिक्त पदों पर कर्मियों की पदस्थापना हेतु निदेशालय से पत्राचार करें।

परियोजना स्तर पर भी रिक्त पदों पर कर्मियों की पदस्थापना हेतु निदेशालय से पत्राचार का निदेश दिया गया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(4) पूर्व निरीक्षणः--

जिला प्रोग्राम कार्यालय का माह-- जून, 2008 से स्वतंत्र रूप से कार्यरत होने के पश्चात् कार्यालय का निरीक्षण किसी भी पदाधिकारी द्वारा नहीं किया गया है।

(5) अनुक्रमणिका पंजी:–

अनुक्रमणिका पंजी का निरीक्षण किया गया। पंजी में 28 विषयों पर संचिका खोली गयी है, जिसमें विविध आवेदन पत्र, विविध पत्राचार, विविध योजना एवं सामान्य पत्राचार नाम से संचिका खोली गयी है, जिससे विषय का पता नहीं चलता है। आदेश दिया जाता है कि विषयवार हीं संचिका खोली जाय। विविध या सामान्य पत्राचार नाम से कोई संचिका नहीं खोली जाय। यह भी आदेश दिया गया कि उपलब्ध सभी संचिकाओं का टंकित सूची दो दिनो के अन्दर उपलब्ध कराया जाय। प्रधान सहायक इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(6) प्राप्त एवं निर्गत पत्रो की पंजी:–

यह बताया गया कि पूर्व में प्राप्त पंजी संधारित नहीं होता था। जो भी पत्र प्राप्त होते था उसे जैसे तैसे रखकर निष्पादन किया जाता था। दिनांक– 25.07.2009 को प्राप्त पंजी का संधारण किया गया है। दिनांक– 25.7.2009 को 27 पत्र, 28.09.2009 को 1 पत्र, 29.09.2009 को 07 पत्र प्राप्त दिखाये गये हैं। इसके पश्चात् प्राप्त पंजी में पत्रों का संधारण 03.10.2010 तक नहीं किया गया है। प्राप्त पत्र की पंजी में पत्रो का लगातार क्रमांक नहीं दिया गया है।

इस वर्ष का प्राप्ति पंजी दिनांक– 04.11.2010 से संधारित किया गया है, परन्तु पत्र की संचिका संख्या का इन्द्राज नहीं किया गया है, जो गंभीर विषय है। आदेश दिया जाता है कि संधारित पत्रों के लिए संचिका संख्या इन्द्राज की जाय एवं असंधारित पूराने पत्रों को भी एक अलग पंजी में संधारित कर सभी पत्रों को संबंधित संचिका में रखकर निष्पादन की कार्रवाई करें। प्रधान सहायक इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(7) कर्म पुस्तिका:–

लिपिकों के कर्म पुस्तिका का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि कर्म पुस्तिका विहित प्रपत्र में संधारित नहीं किया गया है। साथ हीं पत्र किस संचिका में रखा गया है एवं निष्पादन की स्थिति क्या है, कर्म पुस्त में उल्लेखित नहीं है। कर्म पुस्तिका अद्यतन भी नहीं है। लिपिक श्रीमती सुषमा हिलारियन के कर्म पुस्तिका में कुछ भी अंकित नहीं है। आदेश दिया जाता है कि कर्म पुस्तिका का संधारण विहित प्रपत्र में करें एवं संचिका संख्या तथा निष्पादन की स्थिति का उल्लेख निश्चित रूप से करें। श्रीमती हिलारियन से स्पष्टीकरण पूछने तथा प्राप्त स्पष्टीकरण को अवलोकनार्थ उपस्थापित करने का निदेश दिया गया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं प्रधान सहायक इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(8) लंबित पत्रों की पंजी–

प्राप्त एवं निर्गत पत्र के लिए लंबित पंजी संधारित नहीं है। इसे तत्काल प्रभाव से संधारित करने का निदेश प्रधान सहायक को दिया गया। प्रधान सहायक इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(9) लिपिक का सेवा पुस्त एवं सेवा पुस्त पंजी:–

निदेशालय से पदस्थापित श्री विनय कुमार विश्वास , लिपिक के सेवा पुस्त संधारित एवं अद्यतन है। सेवा पुस्त पंजी का संधारण किया गया है।

(10) आवंटन पंजी:–

आवंटन पंजी संधारित है। मदवार सरकार से प्राप्त आवंटन की प्रविष्टि आवंटन पंजी में की गयी है।

(11) न्यायालय वादः–

माननीय उच्च न्यायालय में 1 एम0जे0सी0 एवं आयुक्त न्यायालय में 17 सेवा अपील वाद लंबित बताया गया। आदेश दिया गया कि अविलम्ब माननीय उच्च न्यायालय में संबंधित एम0जे0सी0 का कारण पृच्छा दायर किया जाय तथा आयुक्त न्यायालय में लंबित सेवा अपील वाद में प्रतिवेदन भेजा जाय्। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(12) लोक सभा विधान सभा प्रश्नः–

लोक सभा एवं विधान सभा प्रश्न पंजी संधारित है। कार्यालय स्तर पर कोई भी प्रश्न लंबित नहीं है।

(13) लेखन सामग्रीः–

कार्यालय में यह पंजी संधारित है।

(14) रक्षी पंजीः–

रक्षी पंजी का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरान्त पाया गया कि रक्षी पंजी विविध नियम एवं आदेश–1 तथा विविध नियम एवं आदेश–2 के नाम से संधारित किया गया है। रक्षी पंजी में पत्रों का Indexing भी नहीं किया गया है। आदेश दिया गया कि रक्षी पंजी विषयवार संधारित किया जाय एवं सभी रक्षी पंजी में पत्रों का Indexing किया जाय जिससे कि पत्रों के बारे में जानकारी मिल सके।प्रधान सहायक इसका अनुपालन सुनिश्चित करें।

(15) भंडार पंजीः–

भंडार पंजी संधारित एवं अद्यतन है।

(16) पेंशन एवं भविष्य निधित संबंधी मामलेः–

दिनांक– 13.10.2010 को तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के असामयिक निधन के पश्चात् उनके आश्रितों को देय लाभों का भुगतान किया जाना लंबित है। आदेश दिया जाता है कि उनके उतराधिकारी को अविलम्ब देय राशि का भुगतान करना सुनिश्चित करें। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी अनुपालन सुनिश्चित करें।

(17) प्रधान सहायक नोट बुकः–

प्रधान सहायक नोट बुक संधारित है।

(18) जनशिकायतः–

(1)मुख्यमंत्री जनता दरबार (2) मुख्यमंत्री विश्वास यात्रा (3) जिला जनता दरबार के लिए अलग–अलग पंजी संधारित की गयी है। अवलोकन से ज्ञात हुआ कि मुख्यमंत्री जनता दरबार का– 31, मुख्यमंत्री विश्वास यात्रा का– 10 एवं जिला जनता दरबार का 32 परिवाद पत्र अभीतक लंबित है। ये लंबित परिवाद पत्र किस स्तर पर लंबित है, इसकी जानकारी न तो पंजी से प्राप्त हो सकी न हीं संबंधित सहायक द्वारा ही बताया जा सका। आदेश दिया जाता है कि परिवाद पत्र किस स्तर पर लंबित है, इसकी सूची चौबीस घंटा के अंदर तैयार कर

अवलोकनार्थ उपलब्ध कराया जाय एवं दिनांक– 22.11.2010 तक सभी लंबित परिवाद पत्रों का निष्पादन सुनिश्चित किया जाय।

(19) नजारत:–

सामान्य एवं सहायक रोकड़ पंजी का अवलोकन किया गया। दिनांक– 15.11.2010 तक रोकड़ की स्थिति निम्नवत है:–

मदवार विवरणी:–

क्र0	सहायक रोकड़ पंजी/मद का नाम	अवशेष राशि
1	ऑगनबाड़ी प्रशिक्षण:–	302888.00
2	अर्जित सूद की राशि:–	894724.00
3	ऑगनबाड़ी केन्द्र पर कहानी कविता प्रतियोगिता–	68000.00
4	नवसृजित बाल विकास परियोजना कार्यालय के लिए उपस्कर:–	70000.00
5	दुलार योजना :–	14875.00
6	सामग्री एवं पूर्तियॉ:–	7123.00
7	मेडिसीन किट्स:–	3576000.00
8	डाटा सेंटर स्थापना:–	964559.00
9	प्रतिपूर्ति की राशि:–	40000.00
10	कार्यालय व्यय:–	23979.00
11	जीप संधारण:–	50000.00
12	दूरभाष:–	10283.00
13	किशोरी शक्ति योजना:–	1480197.00
14	मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना:–	4500.00
15	झुलन सप्ताह प्रदर्शनी प्रतियोगिता:–	40000.00
16	फोटो कॉपियर/फैक्स मशीन:–	130000.00
17	बेबी तौल/व्यस्क तौल मशीन:–	3064200.00
18	अल्पावास गृह निर्माण:–	242500.00
19	मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना:–	11114704.00
20	महिला हेल्पलाईन:–	338145.00
21	विद्युत प्रभार:–	93.00
22	वर्दी:–	815.00
	कुल योग:–	**22437585.00**

Details of Cash Balance

क्र0	बचत खाता संख्या	उपलब्ध राशि
1	D.M. A/C No 3939000100105807 (P.N.B.)	4085920.00
2	D.P.O. A/C No. 3939000100103182 (P.N.B.)	7380548.00
3 4	D.P.O. A/C No. 910010017866711 (AXIS BANK)	11050040.00
5	अभिश्रव	36938.00
6	नगद राशि	979.00
7	D.P.O. A/C No. 3939000100103182 (P.N.B.) द्वारा भूलवश चेक संख्या– 482640 द्वारा दिनांक– 22.07.09 को निकासी की राशिः–	10000.00
8	उक्त खाता में दिनांक–02.02.10 एवं 15.02.10 को Clearing मद कटौती की राशिः–	55.00
9	कुल योगः–	**22563940.00**
10	D.M. A/C No. 3939000100105807 (P.N.B.) से निर्गत चेक संख्या– 147446 दिनांक– 12.10.10 जो बैंक से निकासी नही हुआ है	(–) 126355.00
11	शुद्व अवशेष राशिः–	**22437585.00**

रोकड़ पंजी के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि:–

(a) पंजाब नेशनल बैंक द्वारा रू0 10,000.00 की अधिक निकासी की गयी है, जिसे अविलंब ठीक कराया जाय। अभिश्रव के रूप में 36,938.00 रू0 असमायोजित राशि पड़े हैं, जिसे दिनांक– 22.11.2010 तक समायोजन किया जाय। प्रधान सहायक इसका अनुपालन सुनिश्चित करें।

(b) सूद मद की राशि को एकत्रित रखी गयी है। आदेश दिया जाता है कि जिस मद का सूद है, उसी मद के सहायक रोकड़ पंजी में अर्जित सूद राशि को संधारित किया जाय। कई मदों की राशि को एक ही सहायक रोकड़ पंजी में संधारित किया गया है। आदेश दिया जाता है कि मदवार अलग–अलग सहायक रोकड़ पंजी संधारित किया जाय। प्रधान सहायक इसका अनुपालन सुनिश्चित करें।

(c) मेडिसीन किट्स मद, किशोरी शक्ति योजना मद, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना मद, बेबीतौल एवं वयस्क तौल मशीन योजना मद, डाटा सेंटर स्थापना मद में काफी राशि अवशेष पड़ी हुई है। साथ ही ऑगनबाड़ी केन्द्र पर कहानी कविता प्रतियोगिता मद, नवसृजित बाल विकास परियोजना कार्यालय के लिए उपस्कर मद, झूलन सप्ताह प्रदर्शनी प्रतियोगिता मद, फोटो कॉपियर एवं फैक्स मशीन मद में भी राशि अवशेष है। इस संबंध में आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त सभी मदों से संबंधित परिपत्रों को संकलित कर दो दिनों के अंदर उपलब्ध कराया जाय। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

मदवार अवशेष राशि के संबंध में निम्नवत् निदेश दिया जाता है:–

(a) मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना मद में 1,11,14,704.00 रू0 की राशि अवशेष पड़ी है। बताया गया कि इस वित्तीय वर्ष में कुल 2,17,15,500.00 का आवंटन प्राप्त हुआ था,जिसमें से 108,65,000.00 रू0 विभिन्न प्रखण्डों को उपावंटित किया गया था, जिसका व्यय विवरणी प्राप्त नहीं है। आदेश दिया जाता है कि जिला स्तर पर अवशेष राशि प्रखण्डों के बीच उपावंटित किया जाय एवं पूर्व में उपावंटित राशि का व्यय विवरणी प्राप्त किया जाय। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(b) किशोरी शक्ति योजना मद में 14,80,197.00 रू0 अवशेष पड़े हैं। बताया गया कि इस योजना में किशोरियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य स्तर से निर्धारित की जाती है। आदेश दिया जाता है कि इस संबंध में निदेशालय से पत्राचार किया जाय एवं अवशेष राशि को नियमानुसार व्यय करने की व्यवस्था की जाय। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी अनुपालन सुनिश्चित करें।

(c) डाटा सेंटर स्थापना मद में 9,64,559.00 रू0 की राशि अवशेष पड़ी है। इस संबंध में बताया गया कि डाटा सेंटर का अनुबंध वर्तमान में समाप्त हो चुका है। आदेश दिया जाता है कि इस संबंध में निदेशालय से डाटा सेंटर स्थापना हेतु पत्राचार किया जाय। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(d) नवसृजित बाल विकास परियोजना कार्यालय के लिए उपस्कर मद में 70,000.00 रू0 की राशि अवशेष है। आदेश दिया जाता है कि परियोजना कार्यालयों से अधियाचना प्राप्त कर दिनांक– 22.11.2010 तक उपस्कर उपलब्ध कराने की यवस्था की जाय।

<u>(20) नियोजनः–</u>

<u>(i) महिला पर्यवेक्षिका का नियोजनः–</u>

प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक– 1846 दिनांक– 10.06.2010 एवं निदेशक, समाज कल्याण विभाग, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक– 1880 दिनांक– 15.06.2010 के अनुसार जिले में कुल 115 महिला पर्यवेक्षिका के रिक्त पदों पर अनुबंध के आधार पर नियुक्ति की जानी है। इनमें से 86 पदों पर सीधी नियुक्ति एवं 29 पदों पर सेविका से नियुक्ति की जानी हैं। विभागीय नियमावली के अनुसार इन पदों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हो चुके है। आदेश दिया जाता है कि नियोजन से संबंधित कार्यालय स्तर की सभी प्रक्रियाएँ पूर्ण कर ली जाय ताकि चुनाव आचार संहिता की समाप्ति के तुरंत बाद नियोजन की कार्रवाई पूर्ण की जा सके। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

<u>(ii) सेविका/सहायिका का नियोजनः–</u>

कुल 162 ऑगनबाड़ी केन्द्र अकार्यशील बताया गया। निदेश दिया गया कि सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को इस संबंध सख्त आदेश दिया जाय कि चुनावी प्रक्रिया समाप्त होते हीं इन अकार्यशील केन्द्रों को कार्यशील बनाने की कार्रवाई की जाय। इस हेतु पूर्व से हीं सभी तैयारियाँ पूरी कर ली जाय। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(21) बाल विकास सेवा योजनाः–

(i) अतिरिक्त ऑंगनबाड़ी केन्द/मिनी ऑंगनबाड़ी केन्द्र की स्वीकृति

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले के 13 परियोजना के लिए 290 अतिरिक्त ऑंगनबाड़ी केन्द्र एवं 216 मिनी ऑंगनबाड़ी केन्द्र की स्थापना का लक्ष्य प्राप्त है। सभी केन्द्रों के लिए मैपिंग की कार्रवाई प्रारंभ की गयी थी, परन्तु नियोजन की कार्रवाई बाधित है। निदेश दिया गया कि सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को आदेश दिया जाय कि आचार संहिता समाप्ति के तुरंत बाद इस कार्य को पूर्ण किया जाय। इसके लिए सभी प्रारंभिक तैयारी अभी से हीं प्रारंभ कर दी जाय। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(ii) बेबी तौल/व्यंस्क तौल मशीन की आपूर्ति

बताया गया कि भेरायटी ब्यापार लि0 द्वारा 1768 बेबी तौल मशीन एवं 2420 वयस्क तौल मशीन की आपूर्ति सभी परियोजना कार्यालयों को की गयी है। इसका भुगतान अभी लंबित है। आदेश दिया गया कि चौबीस घंटा के अंदर आपूर्तिकर्ता को भुगतान करना सुनिश्चित करें।

(iii) मेडीसीन किट्स

बताया गया कि मेडीसीन किट्स मद में 3576000.00 रूपये की राशि अवशेष पड़ी हुई है। आपूर्ति आदेश भी निर्गत किया गया है। परन्तु आपूर्ति बाधित है। आदेश दिया जाता है कि दिनांक– 22.11.2010 तक सभी औपचारिकता पूरी कर आपूर्ति प्राप्त की जाय एवं आपूतिकर्त्ता को भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

(iv) मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजनाः–

बताया गया कि इस जिले के लिए वर्ष 2008 में प्राप्त कुल 23148 लक्ष्य के विरूद्ध अभीतक 27681 कन्याओं को कन्या सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया गया है। परियोजनावार लक्ष्य एवं उपलब्धि के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि कुछ परियोजनाओं यथा– बैरिया, नरकटियागंज, गौनाहा, सिकटा, मैनाटॉड़, बगहा–1,बगहा–2 एवं भितहॉं परियोजना में लक्ष्य से बहुत कम कन्याओं को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया गया है। निदेश दिया गया कि उपरोक्त परियोजनाओं के बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को आदेश दिया जाय कि इस कार्य में तीव्र प्रगति लावें। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(v) ऑंगनबाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माणः–

बताया गया कि जिले में कुल 469 ऑंगनबाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण विभिन्न मदों से विभिन्न कार्यकारी एजेंसियों द्वारा कराया जा रहा है। आदेश दिया जाता है कि सभी कार्यकारी एजेंसियों से निर्माणाधीन ऑंगनबाड़ी केन्द्रों के संबंध में अदयतन भौतिक एवं वित्तीय स्थिति प्राप्त कर दिनांक– 22.11.2010 तक उपलब्ध कराया जाय। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(22) सामान्यः–

जिला प्रोग्राम कार्यालय विकास भवन स्थित भूतल भाग के एक छोटे से कमरे में संचालित है। कमरे में स्थिति जर्जर है। कार्यालय में संचिकाओं, कागजातों एवं सामग्रियों का रख–रखाव व्यवस्थित नहीं है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के लिए कार्यालय प्रकोष्ट भी उपलब्ध नहीं है। आदेश दिया जाता है कि आज हीं कार्यालय में उपलब्ध सामग्रियों को व्यवस्थित ढ़ंग से रखा जाय। कार्यालय में मरम्मति की व्यवस्था की जाय। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी अपना कार्यालय प्रकोष्ट जिला योजना पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ट में स्थानान्तरित करें। प्रधान सहायक एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

ह0/–

जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक 821 / दिनांक 18/11/10 /

प्रतिलिपिः– जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रधान लिपिक, जिला प्रोग्राम कार्यालय, बेतिया को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जिला–पश्चिम चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अनुमण्डल पदाधिकारी, बेतिया/बगहा/नरकटियागंज को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया/ उप विकास आयुक्त, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

Brijendra 18.11.2010

जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।